

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/860

--:: आदेश ::--

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोकलसर व भू.अ.नि.मोकलसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार रेशन कार्ड, पशासक मोकलसर का प्रमाण पत्र। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मोकलसर	1278, 1289, 1290, 1291, 1595, 1601, 1602,	दुगान राम पुत्र स्मेल लाराम संरक्षक सरपरस्त माता जेमना	दुगान लाल पुत्र स्ममेल राम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक--/राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/90
प्रतिलिपि --

दिनांक:-06.11.2025

1. तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण दुगान लाल पुत्र स्ममेल राम जाति मेधवाल निवासी मोकलसर तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रवाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

